न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : मयंक मनीष, I.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **27/18 (वि.प्रा.पत्र)**

GCMS No : 2018/00157

1. श्री राम पिता उदा दरोदा निवासी मेडता तह. मावली।

.....प्रार्थी

बनाम्

1. श्री उदयसिंह पिता धनसिंह राजपूत निवासी मेडता तह. मावली।
2. श्री दौलतसिंह पिता धनसिंह राजपूत निवासी मेडता तह. मावली।
3. श्रीमती हीराकुंवर पत्नी गोपालसिंह राजपूत निवासी मेडता तह. मावली।
4. श्री लक्ष्मणसिंह पिता धनसिंह राजपूत निवासी मेडता तह. मावली।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री तुलसीराम डांगी, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री भंवरलाल ओस्तवाल, अधिवक्ता विपक्षी सं. 2 से 4

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क), 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक 10.08.2021

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क), 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मोरिया पटवार हल्का मेडता के आराजी संख्या 65, 66, 68/1 कुल किता 3 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि स्थित हैं।

2. यह कि प्रार्थीगण के उक्त खातेदारी आधिपत्य की भूमि में आने जाने का एकमात्र रास्ता आराजी नम्बर मौजा मोरिया पटवार हल्का मेडता की आराजी नम्बर 91/2 में होकर आम रास्ते तक प्रार्थी व उनके पूर्वाधिकारी कदीम से आने जाने तथा अपनी उपरोक्त खातेदारी की भूमि की जुलाई एवं कृषि कार्य हेतु हल, बैलगाडी, ट्रेक्टर आदि इसी आराजीयात की भूमि से होकर लाते ले जाते रहे तथा भूमि का रास्ते के कर रहे हैं। उक्त आराजी सर्वे नं. 91/2 वे हाल खातेदार विपक्षीगण है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.08.17 13:00:07 IST
Reason: SDM Attested

इस तरह विपक्षीगण एवं उनके पूर्वाधिकारियों प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वाधिकारियों उक्त आराजी में आने जाने में कभी कभी व्यवधान पैदा नहीं किया तथा वर्तमान में भी प्रार्थीगण खातेदारी आराजीयात के सुगम एवं मुख्य रास्ते से सबसे नजदीक रास्ता विपक्षीगण की आराजीयात में ही हैं।

3. यह कि विपक्षीगण प्रार्थी को अपने खातेदारी की भूमि में आने जाने के लिए विपक्षीगण बाधा उत्पन्न कर रहे है तथा विपक्षीगण प्रार्थी को धमकी दे रहे कि हम आयन्दा हमारे खातेदारी की भूमि से प्रार्थी अब आने जाने नहीं देगे जबकि प्रार्थी कदीम से विपक्षीगण की उक्त आराजीयात से होकर अपनी खातेदारी में आते जाते रहे। इसलिए अपनी खातेदारी की भूमि में आने जाने के लिए विपक्षी की उक्त आराजीयात में 10 फीट क्षेत्र जो मुख्य रास्ते तक लेने का विधिक अधिकारी द्वारा नियमानुसार शुल्क जमा कराने के लिए तत्पर हैं।

4. यह कि विपक्षी प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि में आराजी नम्बर 91/2 से आने जाने से बाधा उत्पन्न कर रहे है इसलिए विपक्षीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा के अधिकारी हैं।

5. यह कि प्रार्थी की उपरोक्त आराजी की भूमि में केवल आने जाने का केवल विपक्षीगण की आराजीयात से एकमात्र रास्ते से विरूद्व कोई अन्य रास्ता नहीं हैं।

6. यह कि प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण 20.09.2018 को अन्तिम बार उत्पन्न हुआ जब विपक्षीगण ने प्रार्थी को अपनी आराजीयात पर आने जाने में बाधा उत्पन्न की उसके बाद लगातार जारी हैं।

7. अतः श्रीमान् न्यायालय से प्रार्थना है कि विपक्षीगण की आराजी नम्बर 91/2 में से प्रार्थीगण की तक 10 फीट चौडा रास्ता मुख्य मार्ग तक जाने हेतु दिलाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.08.17 13:00:07 IST
Reason: SelfAttested

8. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में हमने तहसीलदार मावली से बिन्दूवार रिपोर्ट प्राप्त की। प्रकरण में विपक्षीगण द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि मौजा मोरिया पटवार हल्का मेडता की आराजी नम्बर 91/2 में प्रार्थी के आने जाने का कोई रास्ता नहीं है न ही उक्त भूमि से कभी कोई बैलगाडी वगैरहा ही ले गया है सारे कथन गलत अंकित किये हैं जबकि प्रार्थी अपनी खातेदारी जमीन में आने के लिए गांव मोतीखेडा रिको क्षेत्र से मोरिया की तरफ जाने वाले रास्ते से दक्षिण की तरफ गांव मेडता के खसरा नम्बर 2283/2203 गांव मोरिया के खसरा नम्बर 2196/59 एवं खसरा नम्बर 2348/65 जो मौके पर रूपान्तरित प्लोटो के मध्य सडक के रूप में 30 फीट चौडा रास्ता है जो प्रार्थी की गैर खातेदारी भूमि गांव मोरिया की जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 के खाता संख्या 235 के खसरा संख्या 2370/91 से सटा हुआ है। इसी गैर खातेदारी की भूमि के पूर्व दिशा में प्रार्थी की खातेदाी की भूमि खसरा संख्या 65, 66, 68/1 के संशोधित खसरा संख्या 2357/68 रकबा 7 बिस्वा भूमि सटमा हैं। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा खातेदारी भूमि से 10 फीट रास्ता मांगना उचित नहीं है जबकि इसका अन्य रास्ता मौजूद है। उक्त आराजी संख्या 91/2 के खातेदार हम विपक्षीगण नहीं है अपितु हमने यह जमीन बेच दी है हमे अनावश्यक पक्षकार बनाया हैं।

9. यह कि प्रार्थी किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थी का इधर कोई रास्ता नहीं है जबकि रास्ता अन्य मौजूद है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं हैं। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत व मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.08.17 13:00:07 IST
Reason: SelfAttested

10. हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र

स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

11. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार मावली से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :–

1. क्या प्रार्थी खातेदार की अपनी खातेदारी भूमि में जाने का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं तथा इसकी आत्यन्तिक आवश्यकता हैं ?

    प्रकरण में तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को अपनी आराजी नम्बर 65, 66, 68/1 में जाने के लिए मौके पर अन्य रास्ता बना हुआ है जो 30 फीट चौडा है। इसलिए नये रास्ते की आवश्यकता नहीं होना बताया हैं।

2. क्या प्रार्थी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी वाला हैं।

    तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के आवागमन हेतु पूर्व में रास्ता होने से नया रास्ता प्रस्तावित नहीं किया गया हैं।

3. यदि प्रार्थी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य न्यूनतम दूरी वाला रास्ता उपलब्ध हो सकता हैं तो वह प्रस्तावित करें।

    तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में पूर्व से ही रास्ता होने से नया रास्ता प्रस्तावित नहीं [illegible] हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.08.17 13:00:07 IST
Reason: SelfAttested

4. प्रस्तावित रास्ते में जाने वाली भूमि का रकबा, किस्म तथा वर्तमान डी.एल.सी. दर अनुसार मूल्याकंन प्रस्तुत करें, रास्ते की चौडाई भी अंकित की जावे।

तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में पूर्व से ही रास्ता होने से नया रास्ता प्रस्तावित नहीं किया हैं।

12. अतः उपरोक्त विवेचन एवं बिन्दूवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थी अपनी भूमि मौजा मोरिया पटवार क्षैत्र मेडता की आराजी नम्बर 65, 66, 68/1 किता 3 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि में आने जाने हेतु विपक्षीगण की भूमि आराजी नम्बर 91/2 में से होकर रास्ता चाह रहा हैं जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक जाना बताया हैं। विपक्षीगण की आराजी में से प्रस्तावित 10 फीट चौडाई का रास्ता चाहा गया हैं। तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी के खेतो तक आवागमन के लिए मौके अनुसार रिको गुडली से मोरिया की तरफ जाने वाले रास्ते से संलग्न खसरा सं. 2283/2203 ग्राम मेडता एवं खसरा नम्बर 2196/59, 2348/65 जो क्रमशः नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के नाम अंकित है जहां पर मौके पर डामरीकरणी एवं कच्चा कुल 30 फीट चौडाई का रास्ता खसरा नम्बर 2348/65 के समीप ही वादी श्री राम पिता उदा दरोगा की ग्राम मोरिया की गैर खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2370/91 रकबा 10 बिस्वा जो वर्तमान में श्री राम के कब्जे में है इसी खसरा नम्बर के पूर्वी दिशा में गैर खातेदारी जमीन जो खातेदारी भूमि को छू रही हैं। अतः वादी द्वारा अन्य खातेदारी भूमि में से 10 फीट रास्ता मांगना उचित प्रतीत नहीं होता हैं। अतः प्रकरण एवं तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट के अवलोकन से प्रार्थी के आवागमन हेतु मौके पर 30 फीट चौडा रास्ता पूर्व से उपलब्ध हैं। अतः रास्ता उपलब्ध होने से प्रार्थी उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग कर अपने जोत तक आ जा सकता हैं। उक्त अधिनियम की धारा किसी प्रकार का रास्ता नहीं होने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.08.17 13:00:07 IST
Reason: SelfAttested

ही खातेदार काश्तकार को जोत तक आने जाने के लिए रास्ता दिया जाने का प्रावधान हैं। अतः रास्ता उपलब्ध होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क), 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10.08.2021 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.08.17 13:00:07 IST
Reason: SelfAttested